तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज ग्राम पचायत सालावास बनाम मोडाराम वगैरा प्रकरण संख्या:— 78/2024	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/12/2024	प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम पंचायत सालावास द्वारा प्रभारी अधिकारी न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प सालावास जोधपुर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.12(3)राज. 1/2016 दिनांक 24.08.2016 व श्रीमान जिला कलेक्टर जोधपुर के पत्र क्रमांक/भू.अ./रा.लो. अदा/2016/12663–12675 दिनांक 02.09.2016 के अधीन कदीमी रास्ता कायम किया जावे। न्याय आपके द्वारा 2018 कोर्ट कैम्प फोलोअप लूणी 30.06.2018 में प्रार्थी ग्राम पंचायत सालावास का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता कायम किया गया। अप्रार्थीगण ने आदेश दिनांक 30.06.2018 के विरूद्ध राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर मे अपील संख्या 131/2023 अनवान मोडाराम बनाम सरकार प्रस्तुत की जो दिनांक 17.10.2023 को स्वीकार करते हुए आदेश दिनांक 03.06.2018 को मौजा सालावास के खसरा संख्या 70 के संबंध में अपास्त किया जाकर इस न्यायालय को न्यायोचित एवं विधि सम्मत: आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि किसी खातेदार ने रास्ता की मांग ही नही की है। यदि किसी खातेदार को अपनी खातेदारी कृषि भूमि में आने–जाने के लिए रास्ता की आवश्यकता होती तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 क के अधीन सक्षम न्यायालय मे आवेदन कर सकता है। बिना मांग किये न्यायालय को बिना सुनवाई का अवसर दिये खातेदारी कृषि भूमि मे रास्ता निकालने का कोई विधिक अधिकार ही नही है। मौके पर रास्ता विद्यमान ही नही है। केवल मात्र राजनैतिक दबाव में आकर गरीब खातेदार काश्तकार को तंग व परेशान करने की नियत से सम्पूर्ण कार्यवाही अमल में लाई गयी। अप्रार्थीगण ने जवाब में यह भी कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.12(3)राज. 1/2016 दिनांक 24.08.2016 व श्रीमान जिला कलेक्टर जोधपुर के पत्र क्रमांक/भू.अ./रा.लो. अदा/2016/12663–12675 दिनांक 02.09.2016 के अधीन प्रार्थना पत्र पेश किया, उक्त परिपत्र व आदेश हस्तगत प्रकरण मे लागू नही होता है। उक्त परिपत्र केवल कृषि भूमि में खातेदारान के आने जाने के लिए रास्ता कायम किया जा सकता था। अप्रार्थीगण की कृषि भूमि के आस–पास औद्यौगिक ईकाईयां स्थापित हो चुकी हैं इस कारण से उक्त परिपत्र व आदेश हस्तगत प्रकरण में लागू नही होता है। ग्राम पंचायत सालावास ने अपने क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर राजनैतिक दबाव में आकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विधिक प्रावधानो के विपरीत होने के कारण काबिल खारिज है खारिज फरमाया जावे। जवाब के समर्थन मे चैनाराम पुत्र गोकलराम ने शपथ पत्र पेश किया। ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 04.05.2018 में केवल विषय नीचे लिखे रास्ते जो मौके पर आज तक चल रहे है मगर मौका रास्ता दर्ज नही है, को दर्ज कराने बाबत उसके बाद रास्ता का नाम लिखा गया लेकिन ग्राम पंचायत के प्रार्थना पत्र में यह उल्लेख नही किया गया कि उक्त रास्ता किन–किन खसरान मे से होकर गुजरता है एवं कौन–कौन खातदोर काश्तकार है। ग्राम पंचायत सालावास के प्रार्थना पत्र की पालना में तहसीलदार लूणी द्वारा जॉच रिपोर्ट एवं नक्शा प्रस्तुत किया जिसमें अप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 70 को कोई उल्लेख नही हैं। इससे से स्पष्ट जाहिर होता है कि ग्राम पंचायत ने अप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 70 मे से किसी प्रकार के रास्ता की मांग नही की है, ना ही किसी खातेदार ने अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने के लिए रास्ता की मांग की। इस कारण से ग्राम पंचायत सालावास द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने के कारण काबिल खारिज हैं एवं तहसीलदार लूणी को निर्देशित किया जाता है कि मौजा सालावास के खसरा संख्या 70 के राजस्व रेकर्ड की दिनांक 04.05.2018 की पूर्व स्थिति बहाल की जावे एवं अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज किया जावे। पत्रावली रोजनामचा शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी,
लूणी